UPSR010005262026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा ID UP02008)

जमानत आवेदन सं०–211/2026

राजू सिंह उम्र करीब 34 वर्ष पुत्र बचान सिंह,
निवासी ग्वारी, थाना थानगांव, जिला सीतापुर।

............आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ०प्र० ....अभियोगी

अ० सं०–06/2026
धारा–317(2), 331(4), 305(ए)
बी०एन०एस० 2023
थाना–इकौना, जिला–श्रावस्ती।

दिनांक 04.04.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **राजू सिंह** की ओर से अपराध संख्या 06/2026, धारा–317(2), 331(4), 305(ए) बी०एन०एस० 2023, थाना इकौना, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा परमजीत पुत्र सोमन यादव निवासी ग्राम भभरी, भगवानपुर, दा० अंदरपुरवा, इकौना, जनपद श्रावस्ती, ने प्रभारी निरीक्षक थाना इकौना जनपद श्रावस्ती को दिनांक 10.01.2026 को समय 13.33 बजे इस आशय की तहरीर दिया कि दिनांक 09/10.01.2026 की रात्रि में अपने कमरे में सोया हुआ था कि रात्रि में समय करीब 2 से करीब 02.30 बजे के बीच में नाम पता अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर में घुसकर कमरे में रखा टैक बक्सा का ताला तोड़ कर रखा जेवर मटर माला तीन ठप्पा का सोने का एक व सोने की झुमकी एक जोड़ा, नथुनी सोने की एक, एक कमर पेटी चांदी की व एक जोड़ा पायजेब चांदी का उठा ले गए जो उसकी लड़की के जेवर है तथा बहु राथ फूल चांदी का एक जोड़ा नथुनी सोने की व पायजेब एक जोड़ा व प्रार्थी व प्रार्थिनी का पायल उठा ले गए तथा इसी रात मेंप पड़ोस की ननका पत्नी पुत्ते कुर्मी के घर में अज्ञात चोर घुस कर दरवाजा का कब्जा को काट कर बक्सा को उठा ले गए जिस में चार जोड़ पायल एक जोड़ पायजेब व दो जोड़ सोने का बाला, छः पत्ती की नथुनी सोने का तीन मटर माला व हाथ

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.04.04 15:05:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पैर की चांदी की अंगूठी व नगद 5000 पांच हजार रुपया रखा था तथा पांच किलो घी उठा ले गए। उसका बक्सा गाँव के बाहर दक्षिण तरफ खेत में टूटा पड़ा मिला है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी। उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध धारा 331(4) व 305(ए) भा०न०सं० में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त उक्त घटना से बिल्कुल अनभिज्ञ है, अभियोजन कथानक के अनुसार कोई भी बरामदगी उसके पास से नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त थाना इकौना क्षेत्र के अन्तर्गत रोजी रोजगार के सिलसिले में रहते हुए ठेकेदारी का काम करता अरसा 5–6 वर्षो से गैस पाइप लाइन बिछाने का काम करता चला आ रहा है। आवेदक/अभियुक्त को अज्ञात मुकदमें में फर्जी तरीके से वांछित कर दिया है, इसे अतिरिक्त अन्य अपराध सं० में भी उसे वांछित किया है जो सरासर गलत एवं निराधार है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 12.02.2026 को प्रभारी निरीक्षक द्वारा अज्ञात मुकदमों में फर्जी तरीके से फंसा कर फर्जी रिकवरी दिखाकर उसे जेल भेज दिया है। उक्त घटना में आवेदक/अभियुक्त की किसी भी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं है। पुलिस द्वारा धन उगाही के उद्देश्य से गलत तरीके से उसको झूँठे मुकदमें में फंसा दिया गया है। वह पूरी तरीके से बेकसूर है। आवेदक/अभियुक्त जिला सीतापुर का रहने वाला है, उसके घर में बूढ़े माँ–बाप हैं, जो चलने फिरने में लाचार हैं। प्रार्थी का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जो हैं भी वह पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से किए गए हैं। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना है।

6– मुकदमा अपराध संख्या 06/2026, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा चोरी के सामान की बरामदगी से स्पष्ट इंकार किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में चोरी किए गए सामानों के विवरण से और फर्द बरामदगी में बरामद सामानों में भिन्नता है। तथाकथित फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध जो मुकदमें

पंजीकृत होने का उल्लेख थाने से प्राप्त आख्या में किया गया है वह समस्त मुकदमें 2026 के हैं। मात्र एक मुकदमा वर्ष 2025 का है, परन्तु किसी मामले में दण्डित किये जाने की कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त राजू सिंह का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **राजू सिंह** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता है:–

I– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

II– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

III– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार रूपये की दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 04.04.2026